HAPUR POLICE

OPERATION CONVICTION

हापुड़ पुलिस द्वारा मा0 न्यायालय में प्रभावी, सशक्त पैरवी करते हुए हत्या के अभियोग में 04 अभियुक्तों को आजीवन कारावास व 20-20 हजार रू0 (कुल 80 हजार रू0) के अर्थदण्ड से दंडित कराया गया।

पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 महोदय द्वारा चलाये जा रहे "ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान के अन्तर्गत आरोपियों को न्यूनतम समय में सजा दिलाए जाने के क्रम में हापुड़ पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन व मॉनीटरिंग सेल द्वारा प्रभावी पैरवी करते हुए मा0 न्यायालय के द्वारा "हत्या" के अभियोग में 04 अभियुक्तों को दंडित कराया गया है, जिसका विवरण निम्नवत् है-

- दिनांक 17.04.2018 को थाना धौलाना क्षेत्र के ग्राम सपनावत (वर्तमान थाना कपूरपुर) में अभियुक्तगण 1. सुनील पुत्र जयप्रकाश, 2. मुनेश पुत्र जयप्रकाश, 3. अमित पुत्र जयप्रकाश, 4. जयप्रकाश पुत्र रघुराज निवासीगण ग्राम सपनावत थाना कपूरपुर जनपद हापुड़ द्वारा जमीनी विवाद के चलते राजकुमार पुत्र चन्द्रपाल पर ज्वलनशील पदार्थ डालकर आग लगा दी थी, जिसकी दौराने उपचार मृत्यु हो गई थी। जिसके सम्बन्ध में थाना धौलाना पर मु0अ0सं0 131/18 धारा 302, 34 भादवि पंजीकृत किया गया था तथा दिनांक 26.07.2018 को आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया।
- आज दिनांक 31.01.2025 को अभियुक्तगण उपरोक्त को मा0 न्यायालय द्वारा आजीवन कारावास व 20-20 हजार रू0 (कुल 80 हजार रू0) के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई।
- अभियोजन विभाग से श्रीमती करूणा नागर (एस.पी.ओ.) व विवेचक निरीक्षक श्री सुबोध सक्सैना, पैरोकार है0का0 रघुवीर सिंह, है0का0 अन्नू कुमार व कोर्ट मोहर्रिर है0का0 सनोज कुमार का विशेष योगदान रहा।